बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

संоसं0–9/कोर्ट–10–13/2017(स्वा0) ...546(9)/पटना, दिनांकः–27.05.26

डॉ० (श्रीमती) ममता प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमडलीय अस्पताल, पूसा समस्तीपुर के पदस्थापन अवधि में दिनांक–19.08.2002 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के प्रमाणित आरोप में विभागीय संकल्प सं०–1308(9) दिनांक–08.12.2016 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया। तत्पश्चात् डॉ० (श्रीमती) प्रसाद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका स०–6354/2017 दायर किया गया।

2. समादेश याचिका सं०–6354/2017 में दिनांक–18.07.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना सं०–1041(9) दिनांक–06.12.2021 के द्वारा डॉ० (श्रीमती) प्रसाद के विरूद्ध अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी की शास्ति को निरस्त करते हुए सेवा में पुनर्स्थापित कर मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना में योगदान करने का निदेश दिया गया तथा विभागीय अधिसूचना सं०–1065(9) दिनांक–10.12.2021 द्वारा डॉ० (श्रीमती) प्रसाद को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में निलंबित किया गया।

3. विभागीय संकल्प सं०–623(9) दिनांक–03.08.2022 द्वारा डॉ० (श्रीमती) प्रसाद के विरूद्ध कर्त्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं अनुपस्थिति अवधि का वेतन निकासी करने के आरोप में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच–प्रतिवेदन (अधिगम) में आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्राक–276(9) दिनांक–31.03.2023 द्वारा डॉ० (श्रीमती) प्रसाद से लिखित अभ्यावेदन की मॉग की गयी। जिसके अनुपालन में डॉ० (श्रीमती) प्रसाद द्वारा प्रत्युत्तर समर्पित किया गया।

4. डॉ० (श्रीमती) प्रसाद द्वारा समर्पित प्रत्युत्तर के सम्यक् समीक्षोपरान्त विभागीय अधिसूचना सं०–1402(9) दिनांक–31.12.2024 द्वारा डॉ० (श्रीमती) प्रसाद के विरूद्ध दिनाक–19.08.2002 से 31.03.2005 तक की अवधि के लिए निम्नवत् दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित की गयी–

(1) डॉ० (श्रीमती) प्रसाद को अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलबन मुक्त करते हुए पदस्थापन की प्रतीक्षा में स्वास्थ्य विभाग में योगदान करने का निदेश दिया जाता है।
(2) सचयी प्रभाव के बिना तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक।
(3) आलोच्य अवधि को असाधारण अवकाश के रूप से विनियमित किया जाता है।
(4) अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के बावजूद कुल–2,99,376/– रु० की अनियमित वेतन प्राप्त की गयी राशि को डॉ०(श्रीमती) प्रसाद से चार बराबर किश्तों में सरकारी कोषागार में जमा कराया जायेगा।
(5) निलंबन अवधि के विनियमित का निर्णय अलग से किया जायेगा।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरान्त पाया गया कि डॉ० (श्रीमती) प्रसाद के निलंबन अवधि दिनांक–10.12.2021 से 31.12.2024 तक उनके द्वारा कुछ अवधि को छोड़कर नियमित रूप से उपस्थित दर्ज की गयी है। विभागीय अधिसूचना सं०–1402(9) दिनांक–31.12.2024 द्वारा डॉ० (श्रीमती) प्रसाद के विरूद्ध संसूचित शास्ति की कंडिका–5 के लिए डॉ० (श्रीमती) प्रसाद के निलंबन अवधि (अनुपस्थित अवधि को छोडकर) के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने एवं निलंबन अवधि को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना करने का विनिश्चय किया गया।

26/05/26
क्र०पृ०उ०

6. अतएव डा० (श्रीमती) ममता प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, पूसा समस्तीपुर सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधुबनी के विरूद्ध निलंबन अवधि दिनांक–10.12.2021 से 31.12.2024 (अनुपस्थित अवधि को छोडकर) के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने एव निलंबन अवधि को पेंशन प्रयोजनार्थ गणना करने का निर्णय संसूचित किया जाता है।

7. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/- 26/05/2026

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

Email

ज्ञापांकः–9/कोर्ट–10–13/2017(स्वा0) 546(9) **/पटना, दिनांकः–** 27.05.26

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 26/05/2026

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/कोर्ट–10–13/2017(स्वा0) 546(9) **/पटना, दिनांकः–** 27.05.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/सिविल सर्जन, समस्तीपुर एवं मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० (श्रीमती) ममता प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, पूसा समस्तीपुर सम्प्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मधुबनी पता–घन नं०–52, शिव लक्ष्मी कॉलोनी पुलिस लाईन रोड, भीखनपुर, भागलपुर पिन–812001 मो० नं०–9973173633 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 26/05/2026

सरकार के अवर सचिव।